न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:– योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
218/18	10.07.2018	23.04.2019

1 अभयसिंह
2 कंवरसिंह
3 जसवन्तसिंह पुत्रान रामजीलाल
4 बाला
5 मुकेश पुत्रीयान रामजीलाल
6 नीरज
7 अंकित पुत्रान सुरेन्द्र
8 बलकेश पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी सानोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

वादीगण–

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर मुण्डावर, जिला अलवर।
2 उमराव अली खां पुत्र नामालुम कोम मुसलमान निवासी भुनगडा ठेठर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

प्रतिवादीगण–

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट।

उपस्थिीति–

1 श्री पूर्णसिंह यादव वकील–वादीगण

–:निर्णय:–

दिनांक :–23.04.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 हाल 373 रकबा 0.21 हैक्टेयर ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो गत ख0 नं0 293 रकबा 0.17 बिस्वा से बना है। उपरोक्त आराजी मिन् वादीगण के बुजुर्ग मृतक बिहारी पुत्र जोधाराम अहीर की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिनकी विरासत में हम वादीगण को प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 लगायत 3 का 3/6 हिस्सा, वादीगण 4 लगा. 5 का 2/6 हिस्सा, वादीगण 6 लगा. 8 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। हाल जमाबन्दी में चन्द्रो पत्नी रामजीलाल के नाम का अमल हो रहा है जिनकी मृत्यु दिनांक 29.09.2012 को हो चुकी है जिनके हम वादीगण विधिक वारिसान है। बिहारी पुत्र जोधाराम हम वादीगण के पडदादा थें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही मृतक बिहारी सम्पूर्ण आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा था जिनकी मृत्यु पर जर्ये विरासत उनके विधिक वारिस रामजीलाल पुत्र बिहारी को प्राप्त हुई तथा रामजीलाल की मृत्यु पर हम वादीगण को उक्त आराजी विरासत मे प्राप्त हुई है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उमराव अली खां दर्ज है जिसका ना तो कभी कब्जा काश्त रहा है और ना मौके पर कब्जा है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय उमराव अली खां देश छोडकर चला गया जो वापिस लौटकर नहीं आया और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मौजुद है और ना ही उसके रिश्तेदार है। सं. 2009 की जमाबन्दी मे वादीगण के बुजुर्ग बिहारी पुत्र जोधाराम के नाम का खातेदारी अधिकार प्राप्त है। जमाबन्दीयों में उमराव अली के नाम का इन्द्राज गलत रूप से चला आ रहा है जो मिन वादीगण के हकूकों के विपरीत है। अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी मे उमराव अली खां के नाम को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा वादीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध सम्यक तामील हेतु आदेश 5 नियम 20 (1–क) के तहत अखबार स्याहा जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर तदोपरान्त प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी एवं प्रतिवादी सं. 1 अवसर उपरान्त जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति मे जवाब दावे का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र वादी अभयसिंह पी0 डब्ल्यू0–1, नरेशकुमार पी0 डब्ल्यू0–2, सुमेरसिंह पी0 डब्ल्यू0–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप आवेदन पत्र गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2073 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2067 किता 8 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2044 प्रदर्श–7, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2046 प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2056 प्रदर्श–9, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी संवत् 2009 प्रदर्श–11, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 प्रदर्श–12, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2005 प्रदर्श–13, नकल जमाबन्दी संवत् 2001 प्रदर्श–14 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी मे संवत् 2009 से वादीगण के पडदादा कब्जे के साथ–साथ नाम का अंकन चला आ रहा है। लगभग 66 वर्षो से मिन वादीगण का लगातार कब्जा काश्त है। सरपंच ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर द्वारा भी वादीगण के तथ्यो की पुष्टि कि गयी है। उमराव अली का नाम गलत रूप से चला आ रहा है जिसे हजफ किया जावे। कथन करते हुए प्रतिवादी सं0 2 की जर्ये राष्ट्रिय अखबार कराई गयी तलबी से भी स्पष्ट हो चुका है कि उमराव अली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भुनगडा ठेठर मे नही रहता है ना ही उसका कोई सगा संबंधी रहता है। वादीगण को आर.टी.एक्ट लागू से पूर्व से कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए दावा वादीगण डिकी किया जावे का निवेदन रहा।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

चूंकि दावे को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रहा है। वादीगण द्वारा अपने दावे की ताईद मे साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड उपरोक्तानुसार प्रस्तुत एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किये गये है जिनमे पत्रावली मे उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा नं0 293 रकबा 0.17 बीघा से हाल खसरा नं0 373 रकबा 17 बिस्वा बनना प्रमाणित होता है। राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी सं. 2072–75 प्रदर्श–3 में हाल खसरा नं0 373 पर उमराव अली राहिन अभयसिंह, कंवरसिंह, जसवन्त पुत्रान व बाला मुकेश पुत्रीयान व चन्द्रो पत्नी रामजीलाल 6/7 मु. बलकेस पत्नी सुरेन्द्र व नीरज कुमार अंकित कुमार पुत्रान सुरेन्द्र 1/7 हि. अहीर मुर्तहन सा. सानोली का अंकन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सं. 2060–63 में ख.नं. 373 पर उमराव अली राहिन रामजीलाल पुत्र बिहारी अहीर मुर्तहन सा. सानोली का अंकन

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

दर्ज है। इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी सं. 2064–67 एवं सं. 2056 मे दर्ज है। जमाबन्दी सं. 2068–71 प्रदश–6 में ख.न. 373 पर उमराव अली राहिन रामजीलाल पुत्र बिहारी अहीर मुर्तहिन का अंकन दर्ज है तथा इतंकाल सं. 962 दिनांक 20.09.2011 विरासत उमराव अली राहिन रामजीलाल बहक उमराव अली राहिन अभयसिंह, कुवंरसिंह, जसवंत पुत्रान व बाला मुकेश पुत्रीयान व चन्द्रो बेवा रामजीलाल हि. 6/7 मु. बलकेस बेवा सुरेन्द्र व नीरज कुमार, अंकित कुमार पुत्रान सुरेन्द्र हिस्सा 1/7 अहीर सा. सानोली मुर्तहन का अंकन दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2044 मे खसरा नं. 373 पर उमराव अली राहिन रामजीलाल पुत्र बिहारी मुर्तहिन का अंकन दर्ज है। इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी संवत् 2036 व 2048 मे दर्ज है।

जमाबन्दी संवत् 2009 प्रदर्श–11 एवं प्रदर्श 12 मे साबिक खसरा नं. 293 पर उमराव अली हिस्सेदार राहिन बिहारी वल्द जोधा अहीर मुर्तहिन का अंकन दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2017 मे भी दर्ज है।

खसरा गिरदावरी संवत् 2022–25 प्रदर्श –10 के अनुसार उमराव अली हिस्सेदार राहिन बिहारी पुत्र जोधा अहीर साकिन सानोली मुर्तहन की काश्त का अंकन दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2044–47 प्रदर्श–7 एवं प्रदर्श–8 के अनुसार उमराव अली मुर्तहन रामजीलाल पुत्र बिहारी अहीर मुर्तहन की काश्त का अंकन दर्ज है। ठीक इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2056 लगायत 2059 प्रदर्श–9 के अनुसार भी उमराव अली राहिन रामजीलाल पुत्र बिहारी अहीर मुर्तहिन साकिन सानोली का अंकन दर्ज है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के गहन परीक्षण उपरान्त हम यह पाते है कि यह भूमि उमराव अली खां प्रतिवादी सं. 2 की भूमि थी। परन्तु संवत् 2009 की जमाबन्दी के अंकन के अनुसार यह भूमि उमराव अली द्वारा वादीगण के पडदादा बिहारी पुत्र जोधा के यहां रहन रख दी गयी थी तथा बिहारी के मरणोपरान्त यह आराजी विरासत से बिहारी के पुत्र रामजीलाल के नाम आ गयी तथा रामजीलाल के मरणोपरान्त वादीगण के नाम जर्ये विरासत आ गयीं। चूंकि वादीगण का पडदादा बिहारी राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के लागू होने के पूर्व से ही यह आराजी उसके पास उमराव अली द्वारा रहन रखी गयी थी ओर बिहारी के पजेशन मे थी तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार आर.टी.एक्ट लागू होने के पूर्व से आज तक निरन्तर वादीगण के बुजुर्ग व उनके पजेशन में चली आ रही है इसलिए ऐसी स्थिति में वादीगण के दादा बिहारी को बाई आपरेशन आफ ला उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाते है। इस सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय RBJ 2006 Page 201, RBJ 2001 Page 26, RRD 1987 Page 453, RBJ 2005 Page 132 में प्रतिपादित किये गये सिद्वान्तों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रभाव में आने के समय जो व्यक्ति/आसामी/उप–कृषक/किमी/मौरूसी/गैर मौरूसी इत्यादि के रूप मे जिस भूमि पर काबिज थे उन्हे उस भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। हस्तगत प्रकरण मे वादीगण का पडदादा बिहारी सं. 2009 की जमाबन्दी में दर्ज अंकन अनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तथा उमराव अली द्वारा यह भूमि बिहारी के यहां रहन रखी गई थी। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्टतः साबित होता है कि आर.टी.एक्ट लागू होने के समय वादीगण के पूर्वज इस भूमि पर काबिज थे तथा उनके पास यह भूमि रहन रखी गई थी तथा आज तक निरन्तर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी मे वादीगण विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

मौखिक साक्ष्य पी.ड. 2 व 3 के अनुसार एवं ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर के पत्र दिनांक 12.07.2018 के अनुसार उमराव अली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भुनगडा ठेठर मे निवास नहीं करता है। अखबार स्याहा होने के उपरान्त भी उमराव अली की कोई उपस्थिति न्यायालय मे नही हुई है। वादीगण का कथन है कि वह विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया उसका कोई सगा सम्बन्धी यहां नहीं है ऐसी स्थिति मे लगभग 66 वर्षो से विवादित आराजी उमराव अली का नाम चला आ रहा है जा विधिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता। जबकि राजस्व रिकार्ड एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व से ही आराजी पर वादीगण के पूर्वज व वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर प्रमाणित है तथा उमराव अली द्वारा उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज बिहारी के पास रहन रखने का तथ्य भी प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के उपरान्त यह न्यायालय पाता है कि वादीगण अपने दावा को दस्तावेजी एव मौखिक साक्ष्य से पूर्णरूपेण साबित करने मे सफल रहे है। वादीगण को विवादित आराजी के खातेदार अधिकार प्रोदभूत हो चुके है इसलिए दावा वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना एवं उमराव अली खां राहिन/मुर्तहन का नाम कलमजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::

अतः वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्णरूपेण साबित कर दिये जाने की स्थिति मे यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वाद वादीगण डिकी किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं. 373 रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर का वादीगण सं. 1 लगायत 3 को 3/6 भाग, वादीगण सं. 4 व 5 को 2/6 भाग एवं वादीगण सं. 6 लगायत 8 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी के बाबत उपराव अली खां राहिन व मुर्तहिन शब्द के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर को उपरोक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताकक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
218 / 18	10.07.2018	23.04.2019

1 अभयसिंह
2 कंवरसिंह
3 जसवन्तसिंह पुत्रान रामजीलाल
4 बाला
5 मुकेश पुत्रीयान रामजीलाल
6 नीरज
7 अंकित पुत्रान सुरेन्द्र
8 बलकेश पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी सानोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

वादीगण—

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर मुण्डावर, जिला अलवर।
2 उमराव अली खां पुत्र नामालुम कोम मुसलमान निवासी भुनगडा ठेठर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

प्रतिवादीगण—

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट।

वादीगण की ओर से **श्री पूर्णसिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **23.04.2019** को **योगेश कुमार डागुर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी खसरा नं. 373 रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर का वादीगण सं. 1 लगायत 3 को 3/6 भाग, वादीगण सं. 4 व 5 को 2/6 भाग एवं वादीगण सं. 6 लगायत 8 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी के बाबत उमराव अली खां राहिन व मुर्तहिन शब्द के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे''

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 23.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(योगेश कुमार डागुर) 23/4/19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner